कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी पौडी गढ़वाल।

पत्रांकः न–6 / सीएफओ–PWL / 20

दिनांकः सितम्बर, 26 2020

M/S IRIS PUBLIC SCHOOL,
SRIKOT GANGANALI SRINAGAR,
DISTRICT- PAURI GARHWALI.

विषयः अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था प्रमाण पत्र के Annual Clearance सम्बन्ध में।

कृपया आपके आवेदन यूनिक नम्बरः–41991244, दिनांकः–23.09.2020 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर प्राप्त हुआ है, के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का प्रभारी फायर स्टेशन पौडी से निरीक्षण कराया गया, प्रभारी फायर स्टेशन पौड़ी की निरीक्षण आख्या दिनांकः–26.09.2020 के अनुसार निरीक्षण के दौरान आपके संस्थान में स्थापित प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को संतोषजनक इंगित करते हुये अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण पत्र प्रदान करने की संस्तुति की है।

संस्थान के स्वामी / प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि इकाई का विस्तार / अतिरिक्त शेडों के निर्माण करने पर तदनुसार अलग से अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। अग्निशमन व्यवस्था समय–2 पर चैक कर सदैव कार्यशील दशा में रखी जाये, अकार्यशील पाये जाने पर तत्काल कार्यशील करा ली जाये तथा स्थानीय थाना / अस्पताल / फायर स्टेशन पौड़ी के टेलीफोन नम्बर को संस्थान के मुख्य स्थान पर अंकित किया जाये एवं अग्निशमन व्यवस्था सम्बन्धी Lay out plan भी प्रवेश द्वार पर उपलब्ध रखा जाये, फायर एक्सटिंग्यूशर पहुँच मार्ग सदैव बाधा रहित रखा जाये, एन.बी.सी के भाग–4 में उल्लिखित मानकों के अनुसार अग्निशमन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखा जाये तथा उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों को अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने से पूर्व रिफिल करवाया जाना अनिवार्य है यदि कतिपय कारणों से अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकरण होने के उपरान्त रिफलिंग तिथि पर फायर एक्सटिंग्यूशर रिफिल नही किये जाते एवं उपरोक्त सुझाव में कमी पाये जाने पर प्रदत्त प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जाये।

अतः उपरोक्त अनुबन्ध के अनुसार एवं प्रभारी अग्निशमन अधिकारी फायर स्टेशन पौडी की संस्तुति आख्या के आधार पर आपके M/S S IRIS PUBLIC SCHOOL, SRIKOT GANGNALI SRINAGAR, में उपलब्ध अग्निशमन उपकरणों के कार्यशीलता प्रमाण पत्र निर्गत तिथि से एक वर्ष हेतु इस उपबन्ध के साथ नवीनीकरण किया जाता है कि आकस्मिक निरीक्षण के दौरान स्थापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था कार्यशील दशा में न होने के फलस्वरूप प्रदत्त प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा किसी प्रकार की लापरवाही / तकनीकी खराबी के कारण अग्नि दुर्घटना के समय अग्निशमन उपकरण कार्य नहीं करते हैं तो पूर्ण उत्तरदायित्व स्वामी / प्रबन्धक का होगा।

(अर्जुन सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
पौड़ी गढ़वाल।

प्रतिलिपिः प्रभारी फायर स्टेशन पौडी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।